प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'साठ'

[17/3/2016]

अतारांकित प्रश्न सं. [क्र. 5686]

परिशिष्ट -'क'

9. शुल्क– इस सेवा को प्राप्त करने के लिये आवेदन ... समय रू. 5/– का न्याय शुल्क का टिकट चस्पा करना होगा। साथ ही मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56 के अन्तर्गत :–

एकसाला/पांचसाला खसरे के प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक के लिए या प्रत्येक खाता धृति जमाबंदी (बी–1/खतौनी), अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56(क) के अन्तर्गत रू. 10/– की दर से न्यायालय फीस लेबल के रूप में चिपकाई जायेगी।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56(क) के अन्तर्गत एकसाला/पांचसाला खसरे के प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक के लिए या प्रत्येक खाता धृति जमाबंदी (बी–1/खतौनी), अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए रुपए 10/– की दर से प्रतिलिपिकरण फीस देय होगी।

- लोक सेवा केन्द्र पर खसरें की प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र पर अधिकतम 10 खसरा नम्बरों की एक या अधिक प्रतियों के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
- एक आवेदन पर बी–1 के एक पूर्ण खाते/संयुक्त खाते की एक या अधिक नकल ली जा सकेगी, परन्तु प्रत्येक पृथक खाते के लिए पृथक आवेदन देना होगा।
- लोक सेवा केन्द्र पर खसरे तथा बी–1 की प्रति प्राप्त करने संबंधी एक आवेदन पर अधिकतम 10 खसरा नंबरों तथा एक खाते की नकल एक या अधिक प्रतियों में ली जा सकेगी।

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 अन्तर्गत न्यायालय फीस स्टाम्प का मूल्य प्रभारित की गई प्रतिलिपिकरण फीस की रकम के बराबर होगा)

लोक सेवा केन्द्र में आवेदकों की सुविधा के लिए रू. 5/– के न्याय शुल्क टिकिट का स्टाक एवं रू. 10/– के न्यायालय फीस लेबल का स्टाक रखा जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोक सेवा केन्द्र के संचालक को स्टाम्प वेंडर की अनुज्ञप्ति दी जाये।

खसरा/खतौनी की प्रतिलिपि के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित राशि लोक सेवा केन्द्र द्वारा जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी को जमा किये गये टॉपअप के विरूद्व समायोजित होगी। माह के दौरान इस तरह जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी को प्राप्त शुल्क अगले माह के प्रथम सप्ताह राजस्व प्राप्तियों के शीर्ष 0029 में चालान द्वारा कोषालय में जमा किया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को दी जायेगी।

लोक सेवा केन्द्र के मांध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क रू. 30/– अतिरिक्त जमा करना होगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व, [illegible]

अतारांकित प्रश्न क्र. 5686 परिशिष्ट - 'ख'

9. **शुल्क–** इस सेवा को प्राप्त करने के लिये आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करते समय रू. 5/– का न्याय शुल्क का टिकट चस्पा करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन शुल्क की छूट होगी।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56(ग) के अन्तर्गत ए–4 आकार के नक्शों की प्रतियां रुपए 15/– की दर से न्यायालय फीस न्यायालय फीस लेबल के रूप में चिपकाई जायेगी।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56(ग) के अन्तर्गत ए–4 आकार के नक्शों की प्रतियां रुपए 15/– की दर से प्रतिलिपिकरण फीस देय होगी।

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 अन्तर्गत न्यायालय फीस स्टाम्प का मूल्य प्रभारित की गई प्रतिलिपिकरण फीस की रकम के बराबर होगा)

लोक सेवा केन्द्र में आवेदकों की सुविधा के लिए रू. 5/– के न्याय शुल्क टिकिट का स्टाक एवं रू. 15/– के न्यायालय फीस लेबल का स्टाक रखा जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोक सेवा केन्द्र के संचालक को स्टाम्प वेंडर की अनुज्ञप्ति दी जाये।

नक्शा की प्रतिलिपि के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित राशि लोक सेवा केन्द्र द्वारा जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी को जमा किये गये टॉपअप के विरूद्ध समयोजित होगी। माह के दौरान इस तरह जिला ई–गर्वनेंस सोसायटी को प्राप्त शुल्क अगले माह के प्रथम सप्ताह राजस्व प्राप्तियों के शीर्ष 0029 में चालान द्वारा कोषालय में जमा किया जाएगा और इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को दी जाएगी।

लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क रू. 30/– भी जमा करना होगा।